न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– **12/07/2019**

1 पूर्णमल पुत्र स्व0 जौहरीलाल जाति मीना
2 रामवतार पुत्र स्व0 जौहरीलाल जाति मीना
3 राजेश कुमार पुत्र स्व0 जौहरीलाल जाति मीना
4 गोकलेश पुत्र स्व0 जौहरीलाल जाति मीना निवासीयान नाथवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर ....अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत नाथलवाडा, पंचायत समिति राजगढ जरिये सरपंच ....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–75 राज0 भू–राज0 अधि0 1956
उपस्थितः– श्री हजारीलाल मीना एडवोकेट –अपीलान्ट

<u>निर्णय</u> **दिनांक 10.03.2021**

1. आज यह अपील वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील अपीलान्ट द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की अन्तर्गत धारा 75 प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की हाल आराजी खसरा नम्बर 90/0.19, 94/0.36, कुल किता 2 रकबा 0.55 है0, 96/0.17, 97/0.08, 98/0.10, 99/0.36, 100/0.25, 101/0.28, कुल किता 6 रकबा 1.24 है0 वाके ग्राम मण्डावरी तहसील राजगढ में स्थित है। जिन खसरा नम्बरान में से आराजी खसरा नम्बर 90/0.19, व 94/0.36 में पूर्व में डमरया उर्फ डमठया उर्फ उमरयो पुत्र नाहरा निवासी ग्राम नाथलवाडा की ढाणी तहसील राजगढ 1/3 हिस्से का मालिक एवं काबिज खातेदार काश्तकार था तथा आराजी खसरा नम्बर 96/0.17, 97/0.08, 98/0.10, 99/0.36, 100/0.25, 101/0.28, वाके मण्डावरी तहसील [illegible] मे पूर्व मे डमरया उर्फ डमठया उर्फ उमरयो पुत्र नाहरा निवासी नाथवाडा तहसील राजगढ 1/6 [illegible] का मालिक एवं काबिज काश्तकार था। उक्त डमरया उर्फ डमठया उर्फ उमरयो पुत्र नाहरा [illegible]दार द्वारा आराजी हाल [illegible] नम्बर 90/0.19, 94/0.36 में अपना 1/3 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा अपीलान्ट नम्बर 1 लगायत 2 के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:27 IST
Reason: SelfAttested

जोहरी लाल पुत्र पन्ना लाल को तथा 1/3 हिस्सा अपीलान्ट 3 लगायत 4 के पिता कन्हैया लाल पुत्र पन्नालाल को व 1/3 हिस्सा हरीराम व अमर सिंह पुत्रान मन्साराम निवासी नाथलवाड़ा को 1/3 बहिस्सा बराबर जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 21.03.2003 को बेचान कर दिया तथा आराजी खसरा नम्बर 96/0.17, 97/0.08, 98/0.10, 99/0.36, 100/0.25, 101/0.28, वाके मण्डावरी तहसील राजगढ के 1/6 हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 के पिता जोहरीलाल पुत्र पन्नालाल व 1/3 हिस्सा अपीलान्ट नम्बर 3 व 4 के पिता कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल को तथा 1/3 हिस्सा हरिराम व अमरसिंह पुत्रान मन्साराम को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 21.03.2003 को बेचान कर दिया। उक्त खरीदशुदा आराजी का इन्तकाल अपीलान्ट नम्बर 1 लगायत 4 के बुजुर्गान जौहरीलाल, कन्हैया लाल पुत्रान पन्नालाल व अन्य के पक्ष में इन्तकाल संख्या 68 निर्णय दिनांक 19.08.2003 को दर्ज कर स्वीकार किया गया। जिसमें आराजी खसरा नम्बर 90/0.19, 94/0.36 को जोहरीलाल व कन्हैयालाल के नाम क्रमशः 1/3–1/3 हिस्सा तथा खरीददार हरीराम व अमरसिंह पुत्रान मन्साराम के नाम 1/6 हिस्सा दर 1/3 हिस्सा दर्ज किया तथा आराजी खसरा नम्बर 96/0.17, 97/0.08, 98/0.10, 99/0.36, 100/0.25, 101/0.28, वाके मण्डावरी तहसील राजगढ में से 1/3 का 1/6 हिस्सा जोहरीलाल व कन्हैयालाल तथा खरीददार हरीराम व अमरसिंह के नाम दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा खरीद की गई आराजी में से कम हिस्सा दर्ज किया गया है जिससे अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन कर पुनः नामान्तकरण दर्ज कर निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

2. अन्त में अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट उपस्थित न्यायालय नहीं आया। अतः उनकी तरफ से इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अपील अपीलान्ट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में इन्त[illegible]या 68 निर्णय दिनांक 19.08.2003, जमाबंदी सम्वत 2059, जमाबंदी सम्वत 20[illegible]75 नकल बैयना[illegible]दिनांक 21.03.2003 आदि पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:27 IST
Reason: SelfAttested

3. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील अपीलान्ट के द्वारा अपील अपीलान्ट में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 68 वाके ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ निर्णय दिनांक 19.08.2003 निरस्त किया जाकर रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.03.2003 के मुताबिक हिस्सा दर्ज किया जावें।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस अपीलान्ट का मनन एवं विश्लेषण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.03.2003 के आधार पर स्वीकार व निर्णित नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 19.08.2003 वाके ग्राम नाथवाडा तहसील राजगढ का भी अवलोकन किया गया।

5. प्रकरण में रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.03.2003 के प्रासंगिक इन्द्राज का उद्धरण इस प्रकार है कि

पक्ति संख्या–3 लगायत 14–

आराजी खसरा नम्बर 90/0.19, व 94/0.36 में पूर्व में डमरया उर्फ डमठया उर्फ उमरयो पुत्र नाहरा निवासी ग्राम नाथलवाडा की ढाणी तहसील राजगढ 1/3 हिस्से का मालिक एवं काबिज खातेदार काश्तकार था तथा आराजी खसरा नम्बर 96/0.17, 97/0.08, 98/0.10, 99/0.36, 100/0.25, 101/0.28, वाके मण्डावरी तहसील राजगढ में पूर्व मे डमरया उर्फ डमठया उर्फ उमरयो पुत्र नाहरा निवासी नाथवाडा तहसील राजगढ 1/6 हिस्से का मालिक एवं काबिज काश्तकार हूँ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:27 IST
Reason: SelfAttested

पक्ति संख्या–21 लगायत 28–

(1) जोहरी लाल पुत्र पन्ना लाल को 1/3 हिस्सा

(2) कन्हैया लाल पुत्र पन्नालाल को 1/3 हिस्सा

(3) हरीराम पुत्र मन्साराम को 1/6 हिस्सा

(4) अमर सिंह पुत्र मन्साराम को 1/6 हिस्सा के अनुसार मोल–माला कलाम बेच दी।

6. प्रकरण में रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.03.2003 के आधार पर स्वीकार व निर्णित नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 19.08.2003 वाके ग्राम नाथवाडा तहसील राजगढ के प्रासंगिक इन्द्राज का उद्धरण करना यहाँ उचित प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

पूर्व की प्रविष्टी	पश्चात् की प्रविष्टी	आराजी
उमरयो पिता नाहरा 1/3 हिस्सा जाति मीणा सा0 नाथलवाडा खातेदार बाकी 2/3 हिस्सा बदस्तूर रहेगा	जौहरीलाल, कन्हैयालाल पिता पन्नालाल मीना हिस्सा 1/3 दर 1/3 का व हरिराम पुत्र मन्शाराम अमरसिह पुत्र मन्शाराम मीना हिस्सा 1/6 दर 1/3 का बाकी जमाबंदी अनुसार 2/3 हिस्सा बदस्तूर रहेगा।	खसरा नम्बर 90/0.19, 94/0.36, कुल किता 2 रकबा 0.55 है0
उमरयो पिता नाहरा 1/6 हिस्सा सा0 देह खातेदार बाकी हिस्सा बदस्तूर रहेगा।	जौहरीलाल, कन्हैयालाल पिता पन्नालाल मीना हिस्सा 1/3 दर 1/6 का व हरिराम पुत्र मन्शाराम अमरसिह पुत्र मन्शाराम मीना हिस्सा 1/6 सा0 देह खातेदार	96/0.17, 97/0.08, 98/0.10, 99/0.36, 100/0.25, 101/0.28, कुल किता 6 रकबा 1.24 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:27 IST
Reason: SelfAttested

7. पैरा संख्या–5 से यह तथ्य स्पष्ट साबित होता है कि उक्त नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 19.08.2003 वाके ग्राम नाथलवाडा के आधार पर अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 90/0.19, 94/0.36,

कुल किता 2 रकबा 0.55 है0, में से अपीलान्ट 1 लगायत 2 के नाम 1/3, अपीलान्ट 3 लगायत 4 के नाम 1/3 हिस्सा, तथा हरिराम व अमरसिह के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज होनी चाहिये थी। इसी प्रकार हाल आराजी खसरा नम्बर 96/0.17, 97/0.08, 98/0.10, 99/0.36, 100/0.25,101/0.28, कुल किता 6 कुल रकबा 1.24 है0 में से अपीलान्ट 1 लगायत 2 के नाम 1/3, अपीलान्ट 3 लगायत 4 के नाम 1/3 हिस्सा, तथा हरिराम व अमरसिह के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज होनी चाहिये थी। परन्तु नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 19.08.2003 वाके ग्राम नाथलवाडा मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.03.2003 के अनुसार दर्ज नही किया गया है जो कि काबिल दुरूस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात से अपील अपीलान्ट तथ्य पूर्ण रूप से साबित है। अतः

आदेश है कि

अपील अपीलान्ट विरूद्ध इन्तकाल संख्या 68 निर्णय दिनांक 19.08.2003 को स्वीकार किया जाता है। इन्तकाल संख्या 68 निर्णय दिनाक 19.08. 2003 वाके ग्राम पंचायत नाथलवाडा की कार्यवाही निरस्त करते हुये तहसीलदार राजगढ को इस आदेश दिये जाते है कि वो मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.03.2003 के अनुसार पुनः नामान्तकरण दर्ज कर निर्णित करने की नियमानुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजगढ को पालना हेतू भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:27 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
(अलवर)